P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XII*August-2015

भारत में लैंगिक भेदभाव–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शैलेन्द्र कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
बैसवारा पी. जी. कालेज,
लालगंज, रायबरेली

सारांश

भारत में 1901 में लिंगानुपात 972 था, जो घटकर 2011 में 940 रह गया। यह लिंगानुपात 0–6 वर्ष के बच्चों में 914 ही है। जो कि स्वतंत्रता के बाद सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में लिंगानुपात में अधिक अन्तर है। इसका कारण कन्या भ्रूण हत्या है। पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय समाज होने के कारण अभी भी लोग पुत्र की चाह रखते है। महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। उनकों पुरूष मजदूरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की कम भागीदारी है। सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से मात्र 62 सीटों पर महिलाओं ने (11 प्रतिशत) चुनाव जीता।

मुख्य शब्द : लिंगानुपात, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, घरेलू हिंसा।

प्रस्तावना

भारत में 1901 में लिंगानुपात 972 था, जो घटकर 2011 में 940 रह गया।[1] यह लिंगानुपात 0–6 वर्ष के बच्चों में 914 ही है, जो कि स्वतंत्रता के बाद सबसे कम है।[2] भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में बाल लिंगानुपात 830, पंजाब में 846, दिल्ली में 866, राजस्थान में 883 है।[3] लिंगानुपात में अधिक अन्तर का कारण कन्या भ्रूण हत्या है। अल्ट्रासाउण्ड मशीन की खोज भ्रूण में बच्चे के स्वास्थ्य की जाँच करने के लिये की गयी थी, किन्तु उसका दुरूपयोग भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिये किया जाता है। भ्रूण के कन्या होने की स्थिति में उसे मार दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय समाज होने के कारण अभी भी लोग पुत्र की चाह रखते हैं। पुत्र को वे संसाधन तथा पुत्री को जिम्मेदारी समझते हैं, पुत्र को कमाने वाला, बुढ़ापे में देखभाल करने वाला समझते हैं, जबकि पुत्री को पराया धन समझते हैं, क्योंकि विवाह के बाद उसे दूसरे के घर जाना होता है।

इन्हीं कारणों से उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में लड़कियों की संख्या तेजी से घट रही है। इन राज्यों के कुछ गांवों में कुँआरे यवकों को विवाह के लिये लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम आदि से विवाह के लिये लड़कियाँ क्रय करके ला रहे हैं।

भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) ज्यादा है। निरक्षरता, गरीबी, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं में कमी के कारण प्रति लाख प्रसवों पर मातृ मृत्यु दर 167 है।[4] जबकि अमेरिका में 18.5 है तथा जापान में 6.8 व इंग्लैण्ड में 8.2 ह।

विकसित देशों की तुलना में, भारत में महिलाओं में साक्षरता की दर निम्न है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता का 65.46 प्रतिशत है।[5] लेकिन अभी भी 35 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। इसका कारण यह है कि लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। उन्हें घर में छोटे भाई, बहनों का ध्यान रखना पड़ता है। स्कूल की घर से दूरी अधिक होने, स्कूल आने–जाने के दौरान छेड़–छाड़ की घटनाओं तथा स्कूलों में शौचालय न होने के कारण भी लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यह भी देखने मे आ रहा है कि गाँवों में कुछ लोग अपने लड़कों को निजी प्रतिष्ठित स्कूलों में तथा लड़कियों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं।

U.S. Department of Commerce की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों की शिक्षा में बाधक स्कूलों में शौचालयों/स्वच्छता का अभाव, महिला शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम में लैंगिक पक्षपात है। अधिकांश महिला चरित्रों को कमजोर एवं असहाय जबकि पुरूष चरित्रों को बलवान, साहसी, बौद्धिक और प्रतिष्ठित कार्यों से जुड़ा दिखाया जाता है।[6]

दहेज निषेध अधिनियम 1961 के लागू हो जाने के बाद भी महिलाओं को दहेज प्रथा का शिकार होना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार सन् 2012 में 8233 दहेज मृत्यु पूरे देश में रिकार्ड की गयीं।[7]

महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। घर में अनेक स्त्रियों के साथ गाली–गलौज किया जाता है, उन्हें लातो, घूसों, चांटों व लकड़ियों से मारा जाता है। घरेलू हिंसा से बचाव के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से लागू किया गया।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2006 के अनुसार 15–49 वर्ष की महिलाओं में 8.5 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवनकाल में कभी न कभी यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा।[8]

सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ की घटनायें आम बात हैं। बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2013 के अनुसार पूरे भारत में वर्ष 2012 में 24923 बलात्कार केस दर्ज किये गये।[9] इसमें से 98 प्रतिशत केसों में बलात्कारी व्यक्ति परिचित था।[10]

कुछ वर्षों से महिलाओं के साथ तेजाबी हिंसा की घटनायें देखने को मिल रही हैं, जिसमें यदि उसकी जान बच भी जाये, तो भी उसे नारकीय जीवन जीने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1955 महिलाओं को पिता की सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान करता है। किन्तु समाज में पैतृक सम्पत्ति का हस्तांतरण सिर्फ पुत्र को किया जाता है। पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं प्रदान किया जाता है। पुत्रियाँ अपने भाईयों से लगाव की वजह से खुशी से अपना यह अधिकार त्यागने को तैयार रहती हैं। कभी–कभी उन्हें यह भी डर रहता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो विवाह के बाद उनका पैदाइशी परिवार से जितना भी सीमित सम्पर्क रहता है, वह भी खत्म हो जायेगा।

भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। वर्ष 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के हिसाब से 131 देशों में भारत का 120वां स्थान है।[11] वहीं हाल ही में जारी किये गये वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश की पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु की सिर्फ 29 प्रतिशत महिलायें ही श्रम बल का हिस्सा है।[12] सर्वे आर्गेनाइजेशन के अनुसार 1990 के मध्य तक राष्ट्रीय श्रम में महिलाओं का योगदान चालीस फीसदी था, जो 2004–2005 में गिरकर 29 प्रतिशत हो गया और 2011–2012 में 22.5 फीसदी तक पहुँच गया।[13]

श्रम बाजार में महिलाओं की कम भागीदारी है, उनको पुरूष मजदूरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000–2001 से 2009–2010 में मैनूफैक्चरिंग क्षेत्र में जहां पुरूष मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 303 रूपये थी, वहीं महिला मजदूरो की औसत दैनिक मजदूरी मात्र 147 रूपये ही थी।[14] हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार स्त्रियों और पुरूषों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने की जिम्मेदारी भारतीय राज व्यवस्था की है।

भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं केा पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन राजनीतिक दलों में व संसद तथा विधान सभा में महिलाओं की संख्या काफी कम है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों व नगर पालिकाओं में एक तिहाई स्थान (33 प्रतिशत) महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिये गये ह, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी बढ़ी है।

भारत में सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 62 सीटों पर महिलाओं (11 प्रतिशत) और 481 सीटों पर पुरूषों (89 प्रतिशत) ने चुनाव जीता। इस चुनाव में 67.09 प्रतिशत पुरूष मतदाताओं ने तथा 65.63 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने वोट डालें, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में 60.24 प्रतिशत पुरूष मतदाताओं ने तथा 55.82 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने वोट डालें।[15]

जेनेवा की अन्तर संसदीय यूनियन (IPU) के अनुसार 2014 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में सदन में 323 में 67 महिलायें (20.7 प्रतिशत), बांग्लादेश में 347 में 67 महिलायें (19.3 प्रतिशत) और नेपाल में 575 में 172 महिलायें (29.9 प्रतिशत) सदन में हैं। जबकि भारत में सदन में 543 में 62 महिलायें (11 प्रतिशत) हैं।[16] महिलाओं को सदन में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिये महिला आरक्षण बिल लाया गया। सन् 2010 में इसे राज्य सभा द्वारा पास किया गया, किन्तु यह बिल अभी लोक सभा से पास होने की प्रतीक्षा में है। इसके पास होने से राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असंतुलन समाप्त होगा, महिला सशक्तिकरण में वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत की जनगणना 2011
2. भारत की जनगणना 2011
3. भारत की जनगणना 2011
4. DECCAN CHRONICLE "Teena Thacker" India's maternal mortality rate drops further - February 02, 2015.
5. भारत की जनगणना 2011
6. Viktoria A Velkaff (October 1998) "Women of the World : Women's Education in India" - U.S. Department of commerce - Retrieved - 25 December, 2006.
7. National Crime Statistics (Page - 198). National Crime Records Bureau INDIA 16.01.2013
8. National Family Health Survey - 2006
9. National Crimes Record Bureau, Crime in India 2012, Statistics, Government of India (May, 2013)
10. Vasundhara Simate (1 February, 2014) "Good laws bad implementation" Chennai India "The Hindu" Retrieved - 1 February, 2014.
11. आतिफ रब्बानी ''रोजगार में भी है लैंगिक असमानता'' डेली न्यूज 12 मार्च, 2015, पेज–8
12. आतिफ रब्बानी ''रोजगार में भी है लैंगिक असमानता'' डेली न्यूज 12 मार्च, 2015, पेज–8

13. आतिफ रब्बानी ''रोजगार में भी है लैंगिक असमानता'' डेली न्यूज 12 मार्च, 2015, पेज–8
14. आतिफ रब्बानी ''रोजगार में भी है लैंगिक असमानता'' डेली न्यूज 12 मार्च, 2015, पेज–8
15. Pamela Philipose "Women and Politics : Trend from the 16th General Election" August 2014- Page - 8
16. http://www.ipsnews.net/2014/06 women- political representation - lagging in India.